OK

Original

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 32वीं बैठक

दिनांक 09 जुलाई 07 प्रातः 11.30 बजे

:स्थानः
ई0एम0पी0सी0भवन
विश्वविद्यालय परिसर
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा ।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 32 वीं बैठक दिनॉक 9 जुलाई 2007 को प्रातः 11.30 बजे ई0एम0पी0सी0भवन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति, वमखुविवि,कोटा।	अध्यक्ष
2. प्रो0अनाम जेटली, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
3. प्रो0 पी0के0शर्मा वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
4. प्रो0एम0के0घड़ोलिया, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
5. डा0श्रीमति कमलेश शर्मा, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
6. डा0एल0आर0गुर्जर, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
7. डा0 श्रीमति दामिना चौधरी, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
8. डा0अशोक शर्मा, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
9. डा0याकुब अली खान, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
10. डा0एच0बी0नंदवाना, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
11. श्री योगश शर्मा, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
12. डा0जे0के0शर्मा, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य

13. श्री राकेश शर्मा, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
14. डा0आर0के0जैन, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
15. श्री सुधीर खैर, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
16. डा0 श्रीमति मीता शर्मा, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
17. डा0 श्रीमति क्षमता चौधरी, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
18. डा0श्रीमति शिप्रा लवानिया, वमखुविवि,जोधपुर।	सदस्य
19. श्रीगोपाल शर्मा परीक्षा नियंत्रक, वमखुविवि,कोटा ।	विशेष आमंत्रित
20. श्री एस0एम0वर्मा कुलसचिव वमखुविवि,कोटा।	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद के उपस्थित सभी सदस्यों का विद्या परिषद की 32वीं बैठक में स्वागत करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा छ माह की अल्पावधि में ही 35 नये कार्यक्रमों के साथ 75 कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु नवीन प्रवेश सत्र के लिये प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों को इस कार्य में सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ब्रोशर्स तैयार करवाये गये है,जिनमें विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। माननीय कुलपति महोदय द्वारा यह भी कहा गया कि आगामी वर्षो में विश्वविद्यालय को उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार किये जावें कि प्रत्येक परिवार का कम से कम एक सदस्य किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के माध्यम से विश्वविद्यालय के साथ जुड़े, माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित ब्रोशर भी सदस्य गण को वितरित करवाये गये।

कुलपति महोदय के संबोधन के बाद कार्यसूची विवरण में प्रस्तुत बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करते हुए निम्नलिखित निर्णय किये गयेः–

32/01 विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनॉक 16 अप्रेल 2007 एवं 31वी आपात बैठक दिनॉक 19 अप्रेल 2007 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

विद्या परिषद द्वारा 30वीं एवं 31वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया।

32/02 विद्या परिषद की 30वीं बैठक दिनॉक 16 अप्रेल 2007 एवं 31वीं आपात बैठक दिनॉक 19 अप्रेल 2007 के निर्णयों के क्रम में की गई कार्यवाही का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एव अनुमोदनार्थ।

विद्या परिषद द्वारा 30 वी एवं 31वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में की गई कार्यवाही सम्बन्धी अनुपालना प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रस्तुत की गई अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया।

32/03 विद्या परिषद की 28वीं बैठक के निर्णय संख्या 28/13 के क्रम में गठित समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन करते हुए समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

32/04 समस्त नये शैक्षिक कार्यक्रमों की शुल्क संरचना का निर्धारण एवं इन पाठ्यक्रमों हेतु रखे जाने वाले परामर्शदाताओं की योग्यता निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

उक्त प्रस्ताव के क्रम में प्रस्तुत किये गये चार्ट का अवलोकन कर विस्तृत विचार विमर्श एवं चर्चा के बाद कुछ संशोधनों के साथ संलग्न चार्ट (संलग्न परिशिष्ट)के अनुसार नये शैक्षिक कार्यक्रमों की शुल्क संरचना का का निर्धारण एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु रखे जाने वाले परामर्शदाताओं की योग्यता का अनुमोदन किया गया।

32/05 डिप्लोमा एवं स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन की समाप्ति के बाद पूर्व परीक्षाओं में प्रविष्ट एवं सफल विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के अभाव में रूके हुए परीक्षा परिणामों के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि चूँकि विद्या परिषद की 29वीं एवं 30वीं बैठकों में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों के अनुमोदन बाद डिप्लोमा एवं स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में ऑतरिक मूल्यॉकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है,तथा इसी आशय का उल्लेख जुलाई 2007 के प्रवेश सत्र के लिए तैयार किये गये प्रवेश आवेदन पत्रों में किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में उक्त पाठ्यक्रमों के पूर्व के वर्षो की परीक्षा में सम्मिलित एवं संत्रात परीक्षा में सफल जिन

विद्यार्थीयों के परीक्षा परिणाम ऑतरिक मूल्यांकन के अंको के अभाव में रूके हुए है, उनके कम में बैठक में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावः–

> "विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यकमों में आंतरिक मूल्यांकन समाप्त कर दिये गये है,तथा नये प्रस्तावित स्नातक स्तरीय पाठ्यकमों में भी आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यह जानकारी में आया है कि कई छात्र ऐसे है जिन्होंने संत्रात परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है,किंतु आंतरिक मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं करने अथवा आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के अभाव के कारण परीक्षा परिणाम अधूरे है, अतः ऐसे छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित है कि जिन छात्रों द्वारा संत्रात परीक्षाऐं उत्तीर्ण कर ली गई है उन्हें संत्रात परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत अंकों के बराबर अंक आंतरिक मूल्यांकन में प्रदान कर छात्रों के परीक्षा परिणाम पूर्ण कर घोषित कर दिये जाए।"

का अनुमोदन करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि आंतरिक मूल्यांकन में सत्रांत परीक्षा के समान प्रतिशत अंक दिये जाने के उक्त निर्णय को पुस्तकालय विज्ञान एवं पत्रकारिता के स्नातक कार्यकमों हेतु लागू नहीं माना जावे।

32/06 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों हेतु प्रत्येक वर्ष स्वमुल्यांकन भरे जाने के सम्बन्ध में इग्नो में प्रचलित प्रपत्र के आधार पर तैयार प्रपत्र के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

शिक्षकों के स्वमूल्यांकन प्रपत्र के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की अनुशंसाऐं अनुमोदित करते हुए कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न प्रपत्र को अनुमोदित करते हुए समिति की अनुशंसा के अनुसार प्रति वर्ष कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन किया गया।

32/07 एम0एड0पाठ्यकम की पाठ्य सामग्री के उपयोग के सम्बन्ध में निदेशक सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग का प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट पर अवलोकन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव विद्या परिषद से सम्बन्धित नहीं होने के कारण चर्चा नहीं की गई।

32/08 एम0फिल0 अर्थशास्त्र पाठ्यकम की पाठ्यकम विकास समिति की दिनॉक 12 मई 2007 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न परिशिष्ट पर अनुमोदनार्थ।

उक्त प्रस्ताव विद्या परिषद से सम्बन्धित नहीं होने के कारण चर्चा नहीं की गई।

32/09 राजस्थान की सामाजिक समस्याऐं कारण एवं निवारण कार्यक्रम का नाम बदलने बाबत् प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

प्रस्तावानुसार "राजस्थान की सामाजिक समस्याऐं कारण एवं निवारण" पाठ्यक्रम का नाम परिवर्ति कर "राजस्थान की सामाजिक समस्याऐं" किये जाने का निर्णय किया गया।

32/10 एम0ए0 एज्युकेशन के अध्यादेश तैयार करने हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण तथा पाठ्यक्रम के अध्यादेश का अनुमोदन किया गया।

<u>विद्या परिषद के समक्ष सूचनार्थ बिंदुः–</u>

कार्यसूची विवरण के निम्नलिखित बिंदु संख्या 32/11 से 32/18 को माननीय कुलपति महोदय द्वारा पूर्व में ही अनुमोदित कर दिया गया है,अतः इन समस्त बिंदुओं को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) के तहत जारी किये गये आदेश मानकर विद्या परिषद द्वारा नोट किया गया ।

32/11 कंप्युटर पाठ्यक्रम से सम्बन्धित लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के प्रोग्राम की रूपरेखा एवं अन्य विवरण का माननीय कुलपति महोदय द्वारा किया गया अनुमोदन सूचनार्थ।

32/12 माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित होम्योपैथिक मेडीसिन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षा योजना के क्रम में जारी आदेश सूचनार्थ।

32/13 होम्यापैथी पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षा आयोजन हेतु प्रति छात्र पॉच रूपये की दर से राशि निर्धारित किये जाने बाबत् निदेशक संकाय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमॉक 2732 दि0 19 जून 2007 अनुमोदनार्थ।

32/14 माननीय कुलपति महोदय द्वारा पी0जी0डी0सी0ए0 कार्यक्रम की अनुमोदित शुल्क संरचना के क्रम में जारी आदेश सूचनार्थ।

32/15 माननीय कुलपति महोदय द्वारा पी0जी0डी0सी0ए0 कार्यक्रम की विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम संरचना एवं मोडेलिटीज़ का अनुमोदन सूचनार्थ।

32/16 पी0जी0डिप्लोमा इन गांधीयन नॉनवाइलेंट कान्फिल्क्ट रेज्युलेशन पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना का अनुमोदनार्थ।

32/17 गांधीवादी पद्वति में जागरूकता प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना अनुमोदनार्थ।

32/18 पोलट्री प्रबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की विशेषज्ञ समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण एवं इस क्रम में निदेशक संकाय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमॉक 2825 दि0 3 जुलाई 2007 अनुमोदनार्थ।

32/19 अन्य बिंदु आसन की अनुमति सेः—

32/19—1 शिक्षकों एवं अधिकारियों हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति विभिन्न विषयों के विषय विशेज्ञों के पैनल का अनुमोदन।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा निदेशक संकाय के माध्यम से प्राप्त निम्नलिखित विषय के विषय विशेज्ञों के पैनल विद्या परिषद के पटल पर प्रस्तुत कियेः—

1. समाज शास्त्र
2. गॉधीयन स्टेड्रीज
3. वाणिज्य
4. फिज़िक्स
5. केमेस्ट्री
6. गणित
7. वनस्पति शास्त्र
8. बायोटेक्नोलोजी
9. पर्यावरण
10. प्राणी शास्त्र
11. भुगोल

उक्त सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को निकट भविष्य में कई विषयों में शैक्षिक पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की अनुमति मिलने की संभावना है के साथ साथ विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों में संकाय सदस्यों को अनुबंध पर रखा जाना है,अतः इस सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी नियुक्ति अधिनियम 1974 के तहत गठित की जाने वाली चयन समिति में विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार किये जाने की कार्यवाही निदेशक संकाय द्वारा की गई है जिसमें प्रत्येक विषय मे लगभग 25 विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार की गई है,उक्त सूची में विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसर्स सेवा निवृत प्रोफेसर्स एवं अन्य प्रमुख अनुभवी शिक्षाविद्वों के नाम सम्मिलित किये गये है। माननीय कुलपति महोदय ने निदेशक संकाय द्वारा तैयार किये गये पैनल को बैठक के दौरान पटल पर प्रस्तुत करते हुए सदस्यों से अनुरोध किया कि उक्त पैनल में से किसी विषय विशेष के पैनल को कोई सदस्य देखना चाहे तो उनके पास उपलब्ध पैनल का अवलोकन कर सकते है इस पर विद्या परिषद के सभी सदस्यों ने पटल पर प्रस्तुत विभिन्न विषयों के पैनल का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

32/19–2 विद्या परिषद की 28वीं बैठक दिनॉक 04 दिसंबर 2007 के निर्णय संख्या 28/10 को निरस्त किये जाने बाबत् प्रस्ताव।

प्रो0 अनाम जेटली द्वारा माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से विद्या परिषद को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के अनुमोदित अध्यादेशों में डिप्लोमा एवं स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में ऑतरिक मूल्यांकन समाप्त कर दिये है, तथा अध्यादेशों में किये गये उक्त प्रावधानों को जुलाई–2007 के प्रवेश सत्र हेतु मुद्रित प्रवेश आवेदन पत्रों में प्रकाशित भी कर दिया गया है,इस कारण विद्या परिषद के समक्ष पुर्व बैठक के निम्नलिखित निर्णय :–

28/10 इंदिरा गॉधी रा0 मु0 वि0वि0 की भॉती विश्वविद्यालय में स्नातक स्तरीय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में ऑतरिक मुल्यॉकन समाप्त करने व शेष पाठ्यक्रमों में एक ऑतरिक मुल्यॉकन कम करने बाबत् प्रस्ताव।
विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय किया गया आतॅरिक मुल्यॉकन की जो व्यवस्था वर्तमान में विश्वविद्यालय में प्रचलित है उक्त व्यवस्था को लागु रखा जावे।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 28 वीं विद्या परिषद के निर्णय संख्या 28/10 को निरस्त किये जाने का निर्णय किया गया।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव,विद्या परिषद

New Academic Programmes on offer (w.e.f. July, 2007)

S.N.	Programmes	Programme/ Subject Code	Programme Fee	Qualifications of the Counsellors	Arrangements for Study Centres
	MASTER OF PHILOSOPHY PROGRAMME:	**M.Phil.**	Rs. 20,000/- for each M.Phil. Programme on S.F.S. basis	1. All University Professors and Assoc. Professors (Rtd./In-Service) or 2. P.G. Heads of Colleges or 3. All Teachers with 10 yrs. of P.G. Teaching and some evidence of Research Supervision/Orientation to research methodology or A Creative Literateur/ Linguist/Author/ Scholar of repute.	1. All Regional Centres 2. Any other authorized centre for imparting knowledge/learning
1.	Master of Philosophy (Economics)	MPEC			
2.	Master of Philosophy (History)	MPHI			
3.	Master of Philosophy (Political Science)	MPPS			
4.	Master of Philosophy (Hindi)	MPHD			
5.	Master of Philosophy (English)	MPEG			
	MASTER DEGREE PROGRAMME:		Rs. 6000/- for Two years (Rs. 3,000+Rs. 3,000) Under S.F.S.	1. All University Professors and Assoc. Professors (Rtd./In-Service) or 2. P.G. Heads of Colleges or 3. All Teachers with 5 yrs. of P.G. Teaching. or **4.** Celebrated Literateur/ Scholar of repute.	1. All Regional Centres. 2. All accredited study centres where subject specific P.G. teaching is available. 3. (for 6) All accredited study centres where subject specific Teachers Training is available.
6.	Master of Arts (Education)	MAED			
7.	Master of Arts (English)	MAEG			
8.	Master of Arts (Public Administration)	MAPA			
9.	Master of Arts (Sociology)	MASO			
	BACHELOR DEGREE PROGRAMME:		Fee structure as indicated in the Prospectus.	1. All University / College Teachers (Rtd./In-Service) or 2. All persons/practioners possessing an eligibility of becoming a College/ University Teacher. or	1. All Regional Centres. 2. All accredited study centres where B.A. Teaching is feasible. 3. Any other spl. Centre created by the University,
10.	**Bachelor of Arts**	B.A.			
	Elective Subjects				
	Geography	GE			
	Mathematics	MT			

	General Hindi General English Environment Studies Elementary Computer Applications			3. [illegible] experts proficient in their respective professional fields with evidence of efficiently imparting skills to learners on a regular basis. or 4. Any Scholar/Performer of repute.	if necessary.
11.	**Bachelor of Science** *Elective Subjects* Biotechnology Botany Chemistry Economics Geography Mathematics Physics Zoology	 BT BO CH EC GE MT PH ZO	Rs. 9,000/- per year I. Instalment Rs. 6,000/- II. Instalment Rs. 3000/- (with Biotechnology), Rs. 12,000/- per year I. Instalment Rs. 8,000/ II. Instalment Rs. 4,000/-	*Same as given at Srl. No. 10.*	1. All Regional Centres. 2. All accredited study centres where B.Sc. Teaching and necessary Science Teaching infrastructure is available. 3. Any other spl. Centre created by the University.
	POST GRADUATE DIPLOMA PROGRAMME				
12.	Post Graduate Diploma in Water Resource Management	PDWR	Rs. 5,000/-	12. i. All University and College Teachers ii. M.E., Ph.D. in Ag. Eng./Ag./Civil or iii. M.Sc., Ph.D. in Ag. Eng./Ag./Civil or iv. M.E. in Ag. Eng./Ag./Civil or v. M.Sc. in Ag. Eng./Ag./Civil or vi. B.E. in Ag. Eng./Ag./Civil with 05 years Experience	1. All Regional Centres. 2. Specified spl. Study Centres. 3. Field Trip locations as prescribed. 4. (for 14) All Study Centres where B.A. Programme is being taught.
13.	Post Graduate Diploma in Computer Application	PDCA	Rs. 12,000/-		
14.	Post Graduate Diploma in Gandhian Nonviolent Conflict Resolution	PDGN	(for S.N. 14 given below : Indian Students = Rs. 1000/- 50% Course fee concession to Indian/Foreign Indian Casual Students = Rs. 700/-		

			Students = $ 100/- Other Foreign students = $ 300/- Others = $ 500/-	...Teacher/Professional possessing MCA/M.Sc.(I.T.) degree. ii. B.E. (Comp. Sc./I.T.) with 1 Yr. exp. Of teaching Java,VB & NET. iii. Any P.G. with 5 Yrs. Teaching of Web designing, Computer Networking/VB/C++ etc. (For Practicals) A Lab. Asstt. With Graduation and 1 yr. PGDCA or a non-graduate Lab. Asstt. With 5 yrs Lab exp. and proficiency in Java, C++, V.B. etc. 14 i. Persons possessing qualification of an Asstt. Professor. ii. Teachers possessing specialization in Gandhian Phil./Thought (Rtd./In-Service) iii. Activists in the field of Gandhian Philosophy/Peace Studies. iv. Office bearers of Institutions devoted to Gandhian Phil./Praxis/Management of Peace/Conflict Resolution.	
	DIPLOMA PROGRAMME:				
15.	Diploma in Watershed Management	DWSM	Rs. 1000/-	15. i. All University and College Teachers	1. All Regional Centres.
16.	Diploma in Poultry Management	DPM	For 16 & 17 (As given in the Prospectus)	ii. M.E., Ph.D. in Ag. Eng./Ag./Civil or iii. M.Sc., Ph.D. in Ag. Eng./Ag./Civil or	2. All accredited Study Centres.. 3. Any other specified spl. Study Centre. 4. (for 16) A specified
17.	Diploma in Social Problems in Rajasthan	DSPR			

				iv. M.E. in Ag. Eng./Ag./Civil or v. M.Sc. in Ag. Eng./Ag./Civil or vi. B.E. in Ag. Eng./Ag./Civil with 03 years Experience 16. A Lecturer/Professional with atleast a M.V.Sc. degree with spl. Ref. to Poultry Science Disease Diagnostic or M.V.Sc. with one year teaching exp. Or B.V.Sc. with 5 yrs. Exp. in Poultry husbandry or teaching Poultry Science. 17. (i) All University / College Teachers (Rtd./In-Service) or (ii) All persons/practioners possessing an eligibility of becoming a College/ University Teacher. or (iii) Technical experts proficient in their respective professional fields with evidence of efficiently imparting skills to learners on a regular basis. (or) (iv) Any Scholar/Performer of repute.	Poultry Farm for Practicals at the R.C. level. 5. (for 17) All Study Centres where B.A. Programme is being taught.11
	CERTIFICATE PROGRAMME				
18.	Certificate in Prakrit Language	CPL	(18-19 (As given in the Prospectus) 20-29 (Rs. 250/- in each Programme)	18. किसी भी विश्वविद्यालय से प्राकृत विभाग अथवा प्राकृत एवं जैन विद्या ग्रुप एवं विभाग के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर)/ प्राध्यापक अथवा किसी भी संकाय के विषय स्नातकोत्तार उपाधि के साथ प्राकृत में डिप्लोमा अथवा प्राकृत भाषा के विषय विशेषज्ञ	1. All Regional Centres. 2. All accredited Study Centres.. 3. Any special study centre, if found necessary. 4. Specified Vocational
19.	Certificate in Apabhransa Language	CAL			
20.	Certificate in Repair and Maintenance of Air Conditioner Refrigerator	VOC-01			
21.	Certificate in Repair and Maintenance of Radio, TV, CD Player & DVD Player	VOC-02			
22.	Certificate in Repair and Servicing of Two-Wheelers	VOC-03			

24.	Certificate in Diesel Engine and Pump-set Mechanic	VOC-05		प्राकृत में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ नेट उत्तीर्ण	Centres for Courses launched with R.MOL, Jaipur..
25.	Certificate in Sheet Metal Work	VOC-06			
26.	Certificate in Welding (Gas & Electric)	VOC-07		19. किसी भी विश्वविद्यालय से अपभ्रंश विभाग के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर)/ प्राध्यापक	
27.	Certificate in Waiter cum Caterer	VOC-08			
28.	Certificate in Nursery Management	VOC-09		अथवा	
29.	Certificate in Dairy Management	VOC-10			
30.	Certi. in Application Software and Web Designing	CAWD		किसी भी संकाय के विषय स्नातकोत्तार उपाधि के साथ अपभ्रंश में डिप्लोमा	
31.	Certificate in Computer Networking and Internet	CCNL			
32.	Certificate in Programming in C++ and Java	CPCJ		अथवा	
33.	Certificate in Programming in VB-2005 DOT NET	CPVB			
34.	Certificate in Awareness of Gandhian Method	CAGM	30-34 (As given in the Prospectus)	अपभ्रंश भाषा के विषय विशेषज्ञ	
				अथवा	
				अपभ्रंश में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ नेट उत्तीर्ण	
				20-29. Under finalization with R.Mol. Jaipur. The V.C. is authorized to approve the qualifications under reporting to the A.C. thereafter.	
				30-34 Same as the one given in column 13.	
Total New Academic Programmes to be launched from July 2007 – 34 (Thirty Four)					

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 33 वीं आपात बैठक दिनॉक 20सितंबर 2007 को प्रातः 11.00 बजे ई0एम0पी0सी0भवन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति, वमखुविवि,कोटा।	अध्यक्ष
2. प्रो0अनाम जेटली, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
3. प्रो0 पी0के0शर्मा वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
4. प्रो0एम0के0घड़ोलिया, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
5. डा0श्रीमति कमलेश शर्मा, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
6. डा0एल0आर0गुर्जर, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
7. डा0 श्रीमति दामिना चौधरी, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
8. डा0अशोक शर्मा, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
9. डा0याकुब अली खान, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
10. डा0एच0बी0नंदवाना, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
11. श्री योगेश शर्मा, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
12. डा0जे0के0शर्मा, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य
13. डा0आर0के0जैन, वमखुविवि,कोटा ।	सदस्य

14. श्री सुधीर खैर, वमखुविवि,कोटा । — सदस्य

15. डा0 श्रीमति मीता शर्मा, वमखुविवि,कोटा। — सदस्य

16. डा0श्रीमति शिप्रा लवानिया, वमखुविवि,जोधपुर। — सदस्य

17 डा0 श्रीमति सुषमा सिंधवी वमखुविवि,जयपुर। — सदस्य

18. श्रीगोपाल शर्मा परीक्षा नियंत्रक, वमखुविवि,कोटा । — विशेष आमंत्रित

19. श्री एस0एम0वर्मा कुलसचिव वमखुविवि,कोटा। — सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद के उपस्थित सभी सदस्यों का विद्या परिषद की 33वीं बैठक (आपात) में स्वागत करते हुए आपात बैठक बुलाये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय तृतीय दीक्षांत समारोह में समारोह की विश्वविद्यालय की तत्कालीन कुलाधिपति महोदया एवं समारोह की मुख्य अतिथि राजस्थान की राज्यपाल महोदया द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से की गई व्यवस्थाओं से अभिभूत होते हुए व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए विश्वविद्यालय को शीघ्र ही चतुर्थ दीक्षाँत समारोह का आयोजित करने कि हिदायत दी , माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत करवाते हुए बताया कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि तत्कालीन कुलाधिपति महोदया वर्तमान में भारत के महामहिम राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है, तत्कालीन कुलाधिपति एवं वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा तृतीय दीक्षांत समारोह में दी गई हिदायत को ध्यान में रखते हुए ही चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के लिये उक्त आपात बैठक की आवश्यकता महसूस की गई है। आपात बैठक आयोजित किये जाने का एक अन्य कारण यह भी रहा है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर राज्य सरकार की स्वीकृति के क्रम में नियुक्ति की जानी है,किंतु इन नियुक्तियों से पूर्व निर्धारित योग्यता सम्बन्धी एक बिंदु में स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है,माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों को उक्त जानकारी से अवगत करवाने के बाद दोनों बिंदुओं के सम्बन्ध में तैयार किये गये प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करते हुए आपात बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा प्रारंभ करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

33/01 चतुर्थ दीक्षाँत समारोह के आयोजन हेतु निम्नलिखित बिन्दु निर्णयार्थः–

1. चतुर्थ दीक्षाँत समारोह आयोजन हेतु तिथि का निर्धारण करना।

चतुर्थ दीक्षाँत समारोह आयोजन के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किये गये कि चतुर्थ दीक्षाँत समारोह माह जनवरी/फरवरी में अथवा

महामहिम राष्ट्रपति महोदया की उपलब्धता के अनुसार चतुर्थ दीक्षॉत समारोह की तिथि निर्धारित की जाए।

2. दीक्षाँत समारोह आयोजन हेतु मुख्य अतिथि के नाम का निर्धारण।

मुख्य अतिथि के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बलवाये जाने का अनुमोदन करते हुए अन्य अतिथियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदयएवं इंदिरा गॉधी रा0मु0वि0वि0के माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित किये जाने का निर्णय किया गया।

3. विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के स्टेच्युट्स 22 में मानद उपाधि दिये जाने हेतु निम्नानुसार प्रावधान वर्णित है:–

"Honorary Degrees: All proposals for the conferment of Honorary Degree shall be initiated by the Vice – Chancellor who after consulation with the Academic Council and the Board of Management Shall submit the same to the Chancellor for confirmation"

उक्त प्रावधान के क्रम में माननीय कुलपति महोदकय ने विद्या परिषद को अवगत कराया कि चतुर्थ दीक्षाँत समारोह में डी0लिट0 की मानद उपाधि दिये जाने हेतु पूर्व में प्रो0 वी0आर0मेहता के नाम का अनुमोदन विद्या परिषद की 30 वीं बैठक दिनॉक 16.4.07 के निर्णय संख्या 30/04–8 द्वारा कर दिया गया है। अतः विद्या परिषद की 30 वीं बैठक में डी0लिट0 की मानद उपाधि दिये जाने का ही पुनः अनुमोदन किया गया।

4. चतुर्थ दीक्षाँत समारोह आयोजित करने बाबत् प्रस्ताव।

जून 2006 से जून 2007 तक आयोजित सत्रांत परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थीयों को उपाधि व डिप्लोमा प्रदान किये जाने के साथ साथ यह भी निर्णय किया गया कि जिन विद्यार्थीयों के परीक्षा परिणाम तृतीय दीक्षॉत समारोह के लिये पास किये गये ग्रेस पास के बाद घोषित हुए है उन्हें भी चतुर्थ दीक्षॉत समारोह में उपाधि प्रदान किये जाने हेतु ग्रेस पास किया जावें। इसी प्रकार जून–2006 से जून 2007 तक आयोजित परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थीयों को विद्या परिषद द्वारा पूर्व में पारित दिशा निर्देशों/नियमों के तहत ही स्वर्ण पदक दिये जाने का भी निर्णय किया गया।

33/02 शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताओं में वर्णित "Good academic Record" शब्द के स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के विभिन्न पदों पर चयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता में वर्णित शब्द "Good Academic Record" को कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनॉक 23.5.01 के निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के पत्र क्रमॉक एफ–3(2)एड्यु/4/99 दि0 11.3.02 द्वारा परिभाषित करते हुए बताया गया है कि जिन अभ्यार्थियों

के सैकेण्डरी,हायर सैकेण्डरी/इंटरमिडियट एवं स्नातक परीक्षाओं में 55% प्राप्तांक होंगे उनको हीशैक्षणिक योग्यता के तहत "Good academic Record" माना जावेगा।विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिये चयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त नियमों को प्रबंध मंडल की 67वीं बैठक के निर्णय संख्या 67/04 द्वारा लागू किया गया है।प्रबंध मंडल के उक्त निर्णय के कम में ही सहायक आचार्य अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है, किंतु वर्तमान में सह आचार्य एवं आचार्य के पदों पर भर्ती के लिये जो विज्ञापन जारी किये गये है एवं उन विज्ञापनों के फलस्वरूप जिन अभ्यार्थीयों के आवेदन प्राप्त हुए है उनमें अभ्यार्थी उक्त मापदंड को पूर्ण नहीं करता है।माननीय कुलपति महोदय द्वारा यह भी अवगत करवाया कि "Good academic Record"के उक्त प्रावधान को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के समय तो लागू किया जा सकता है किंतु सह आचार्य एवं आचार्य के पदों के लिये उक्त मापदंड उन सहायक आचार्यो/सह आचार्यो के लिए लागू किया जाना उचित नहीं है जो कि वर्तमान में राज्य सरकार अथवा अन्य विश्वद्यालयों में पहले से ही सेवारत है,क्यों कि सेवारत शिक्षकों के चयन की प्रकिया पहले से ही विधिक निकाय द्वारा निर्धारित कर दी गई है,अतः सह आचार्य पद हेतु निर्धारित योग्यता में वर्णित"Good academic Record"के सम्बन्ध में किये गये प्रावधान में निम्ननुसार स्पष्टीकरण जोड़ा जाना प्रस्तावित है:-

"For Lecturers/Assistant Professor/Associate Professor already in service in the state government/University the old University norms for recruitment shall be admissible"

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श प्रारंभ करने से पूर्व विद्या परिषद के माननीय सदस्य प्रो0 पी0के0शर्मा द्वारा यह आप्पति की गई कि चूँकि यह आपात बैठक है और यह बैठक चतुर्थ दीक्षॉत समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए ही आयोजित की गई है इस कारण अन्य बिंदु पर विचार विमर्श किया जाना उचित नहीं है वरन इस प्रकरण को विद्या परिषद की नियमित बैठक में रखा जाना चाहिये,अतः उक्त प्रस्ताव विद्या परिषद की बैठक में रखे जाने से पूर्व पुर्नविचार किया जावे, उनकी दूसरी आप्पति यह थी कि विद्या परिषद में शैक्षिक योग्यता निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पूर्व में कभी भी प्रस्तुत नहीं किये गये तथा यह विषय विद्या परिषद के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

उक्त दोनों आप्पतियों के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद को अवगत करावाया गया कि आपात बैठक के कार्यसूची विवरण में दानों प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है इस कारण एक बिंदु पर ही विचार विमर्श किया जाना उचित नहीं है एवं ना ही ऐसा कोई प्रतिबंध है कि इस तरह के प्रकरण विद्या परिषद की आपात बैठक में नहीं रखे जाने चाहिये इसके अलावा माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को सह आचार्य एवं आचार्य के पद वित्तिय वर्ष 2007-08 में भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है,जिसके तहत उक्त पदों को 31 मार्च 2008 तक भरा जाना आवश्यक है यदी 31 मार्च 2008 तक उक्त पद नहीं भरे गये तो राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति वापस ले ली जावेगी इसलिये उक्त प्रकरण को आपात प्रकृति का मानते हुए आपात बैठक में पेश किया गया है। इसी प्रकार अन्य आप्पति के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि चूँकि यह मामला शिक्षकों से जूड़ा हुआ है एवं विश्वविद्यालय अधिनियम में विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों को पर्यवेक्षण करने का अधिकार विद्या परिषद में निहित है, इसलिये यह प्रकरण विद्या परिषद से भी सम्बन्धित है।

माननीय कुलपति महोदय के उक्त वक्तव्य के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहनता से विचार विमर्श कर प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित निम्न प्रावधान को लागू किये के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय किया गया:-

'For Lecturers/Assistant Professor/Associate Professor already in service in the state government/University the old University norms for recruitment shall be admissible"

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 34 वीं बैठक दिनांक 22 अप्रेल 2008 को प्रातः 11.00 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में ई0एम0पी0सी0भवन में आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1.	प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2.	प्रो0सी0के0ओझा 3 क 1 जवाहर नगर,जयपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण त्रिवेदी डिपार्टमेंट आफ बोटनी राज0वि0वि0,जयपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 पी0के0शर्मा आचार्य,एवं निदेशक संकाय वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
5.	प्रो0 अनाम जेटली आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
6.	प्रो0 एम0के0घड़ोलिया आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
7.	डा0 बी0के0शर्मा सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
8.	डा0 एच0बी0नंदवाना सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
9.	डा0याकूब अली खान सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
10.	डा0 श्रीमती दामिना चौधरी सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
11.	डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य

12.	डा0 दिनेश गुप्ता सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
13.	डा0 श्रीमती सुषमा सिंघवी निदेशक, क्षे0के0वमखुविवि,जयपुर।	सदस्य
14	डा0 आर0सी0मीणा निदेशक, क्षे0के0वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
15	श्री राकेश शर्मा सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
16.	श्री योगेश शर्मा सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
17.	डा0 श्रीमती मीता शर्मा सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
18.	डा0 श्रीमती क्षमता चौधरी सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
19.	श्री गोपाल शर्मा परीक्षा नियंत्रक,वमखुविवि,कोटा।	विशेष आमंत्रित
20	कुलसचिव वमखुविवि,कोटा।	सदस्य–सचिव

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, प्रो0बी0बी0खन्ना, डा0श्रीमती अनुराधा देशमुख की बैठक में सहभागिता संभव नहीं हो सकी। आवश्यक गणापूर्ति के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक प्रारंभ करते हुए विद्या परिषद के सदस्यों को जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह दिनांक 15 मई 2008 को मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है, भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने उक्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने की सहमति प्रदान कर दी है तथा राजस्थान के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। माननीय कुलपति महोदय की उक्त जानकारी के बाद प्रस्तुत प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

34/01 विद्या परिषद की 32 वीं एवं 33वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 32वीं एवं 33वीं बैठकों के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

34/02 विद्या परिषद की 32वीं एवं 33वीं बैठकों के निर्णय के कम में अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 32 एवं 33 वीं बैठकों के निर्णयों के कम में प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रस्तुत किये गये अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

34/03 वोकेशनल कोर्सेज के लिए गठित पाठ्यकम निमार्ण समिति के सम्बन्ध में निदेशक संकाय द्वारा माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से जारी आदेश कमांक 833 दि0 28.11.07 का अनुमोदन।

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से जारी किये गये आदेश का अनुमोदन किया गया।

34/04 चतुर्थ दीक्षांत समारोह हेतु दीक्षा कार्यकम का अनुमोदन।

विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव,जून 2006 से जून–2007 की अवधि की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थीयों के लिये दीक्षा कार्यकम एवं विषयवार एवं परीक्षा वार उर्त्तीण छात्रों की सूची का अवलोकन करते हुए प्रस्तावानुसार विद्या परिषद की पूर्व बैठक में तृतीय दीक्षांत समारोह में जिन छात्रों को उपाधि प्रदान करने हेतु ग्रेस पास किया गया था तदुपरांत सफल अभ्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय करते हुए वर्ष जून 2006 से जून–2007 की अवधि के लिए प्रस्तुत दीक्षा कार्यकम के अनुसार छात्रों को उपाधि प्रदान करने की कार्यवाही संपादित कर उपाधि दिये जाने का निर्णय किया गया। साथ ही प्रस्तुत किये गये दीक्षा कार्यकम में कुलसचिव के द्वितीय उद्बोधन के पैराग्राफ चार में (निवेदन है कि निम्न पाठ्यकमों) संशोधन इस प्रकार स्वीकार किया गयाः–"निवेदन है कि निम्न कार्यकमों":–

34/05–1 बी0ए0/बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष के अर्थशास्त्र के पाठ्यकम की पाठ्यकम निर्माण समिति की अनुशंसाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया।

34/05–2 कंप्युटर विज्ञान में एम0एस0सी0पाठ्यकम चलाये जाने के सम्बन्ध में गठित विषय विशेषज्ञ समिति की दिनांक 30 मार्च को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण एवं कार्यकम जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

विषय विशेषज्ञ समिति के कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा प्रस्तावानुसार एम0एस0सी0 कंप्युटर विज्ञान कार्यकम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

34/05–3 प्रो0 अनाम जेटली, जिनके पास निदेशक संकाय के पद का कार्यभार भी है, के द्वारा माननीय कुलपति महोदय के अनुमति से निम्नलिखित विषयों की विषय विशेषज्ञ समितियों की बैठकों के कार्यवाही विवरण विद्या परिषद के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये:–

1. ज्योग्राफी विषय में बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र एवं एम.ए./ एम0एस0सी0 प्रथम वर्ष व एम0फिल0 पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक दि024फरवरी 2008 का कार्यवाही विवरण।
2. बी0एस0सी0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष व ब्रिज कोर्स के लिए फिजिक्स विषय की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 24.2.08 का कार्यवाही विवरण।
3. बी0एस0सी0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष व ब्रिज कोर्स के लिए ज्यूलॉजी विषय की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 24.2.08 का कार्यवाही विवरण।
4. बी0एस0सी0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए केमेस्ट्री विषय की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 13.4.08 का कार्यवाही विवरण।
5. बी0एस0सी0 द्वितीय एवं तृवीय वर्ष व ब्रिज कोर्स के लिए गणित विषय की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 24.2.08 का कार्यवाही विवरण।
6. बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष के लिए बायोटेक्नोलोजी विषय की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 24.2.08 का कार्यवाही विवरण।
7. बी0एस0सी0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष व ब्रिज कोर्स के लिए बॉटनी विषय की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 24.2.08 का कार्यवाही विवरण।
8. बी0ए0पार्ट प्रथम में संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम ।
9. बी0एस0द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए इतिहास की पाठ्यक्रम संरचना का निर्धारण।
10. बी0ए0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए समाज शास्त्र की पाठ्यक्रम विकास समिति की दिनांक 4.2.08 का कार्यवाही विवरण।
11. बी0ए0,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए लोक प्रशासन विषय की पाठ्यक्रम विकास समिति की दिनांक 4.2.08 का कार्यवाही विवरण।
12. बी0ए0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए राज0विज्ञान की पाठ्यक्रम विकास समिति की दिनांक 19.4.08 का कार्यवाही विवरण।
13. बी0ए0 द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के लिए हिन्दी विषय की पाठ्यक्रम विकास समिति की दिनांक 18.01.08 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।
14. बी0ए0 तृतीय वर्ष के इंगलिश विषय के सम्बन्ध में गठित विशेषज्ञ समिति की दिनांक 18. 04.08 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।
15. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय में एम0फिल0 कार्यक्रम चलाने हेतु गठित समिति की दिनांक 10 एवं 11 मार्च 2008 को आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरण।

16. एम0ए0पूर्वार्द्ध संस्कृत के पाठ्यक्रम का निर्धारण।
17. समाज शास्त्र विषय की विशेषज्ञ समिति की दिनांक 5.2.08 को आयोजित बैठक में निर्धारित एम0ए0समाज शास्त्र के उत्तरार्द्ध पाठ्यक्रमों के नाम एवं समिति का कार्यवाही विवरण।

विद्या परिषद द्वारा निदेशक संकाय के माध्यम से प्रस्तुत उक्त समस्त विषयों की विषय विशेषज्ञ समितियों की बैठकों के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित करते हुए कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

आसन के प्रति कृतज्ञता–ज्ञापन के साथ विद्या परिषद की 34 वीं बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
एवं
सदस्य सचिव
विद्या परिषद

कार्यवाही विवरण

दिनांक 05 फरवरी 2009 को सांय पाँच बजे विद्या परिषद की 35 वीं बैठक (आपात) आयोजित की गई बैठक में माननीय अध्ययक्ष महोदय सहित निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
   कोटा।

2. प्रो0पी0के0शर्मा — सदस्य
   आचार्य, प्रबंध।
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

3. प्रो0 एम0के0घाड़ोलिया — सदस्य
   आचार्य, अर्थशास्त्र
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

4. डा0 श्रीमती सुषमा सिंघवी — सदस्य
   निदेशक,क्षे0 सेवाऐं (अतिरक्त कार्यभार) एव
   निदेशक क्षे0के0,व0म0खु0वि0वि0,जयपुर।

5. डा0 आर0सी0मीणा — सदस्य
   निदेशक, क्षे0के00
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

6. डा0 एच0बी0नंदवाना — सदस्य
   सह0 आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

7. डा0 याकुब अली खान — सदस्य
   सह आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

8. श्री राकेश शर्मा — सदस्य
   सहा० आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

9. डा0 श्रीमती दामिना चौधरी — सदस्य
   सह आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

10. डा0 श्रीमती मीता शर्मा — सदस्य
    सहा0 आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

11. डा0 श्रीमती क्षतमा चौधरी
    सहा0 आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

12. डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा — सदस्य
सह0 आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

13. डा0 बी0के0शर्मा — सदस्य
सह आचार्यवर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

14. डा0 अशोक शर्मा — सदस्य
सह आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

15. डा0 दिनेश गुप्ता — सदस्य
सह आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

16. श्री योगेश शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

17. श्री एस0जी0शर्मा — विशेष आमंत्रित
परीक्षा नियंत्रक,वमखुविवि,कोटा।

18. श्री बी0एल0कोठारी — सदस्य सचिव
कुलसचिव,वमखुविवि,कोटा।

आवश्यक गणापूर्ति के बाद आपात बैठक हेतु प्रस्तावित कार्यसूची विवरण का विस्तृत ब्यौरा सदस्यों को उपलब्ध करवाया गया तथा प्रस्तुत कार्यसूची विवरण पर बिंदुवार चर्चा की गई निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

35/01 पंचम दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु मुख्य अतिथि, मानद उपाधि एवं तिथि सम्बन्धी प्रस्ताव।

उक्त बिंदु पर चर्चा प्रारंभ करते हुए अधिकाँश सदस्यों का विचार था कि दीक्षांत समारोह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाना चाहिये माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों के विचार से सहमति प्रकट करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम के स्टेच्युट्स 22 में निहित प्रकिया के तहत माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो0 गोहर रिजवी को डी0लिट0 की मानद उपाधि दिये जाने हेतु उनका बायोडेटा एवं उनके सम्बन्ध में अन्य जानकारियों से माननीय सदस्य गणों को अवगत करवाते हुए पंचम दीक्षांत समारोह में डी0लिट0 की मानद उपाधि हेतु उनका नाम प्रस्तावित किया गया।

माननीय सदस्य गणों द्वारा चर्चा प्रारंभ करते हुए डी0लिट की मानद उपाधि से सम्मानित करने हेतु किसी महिला अथवा दूरस्थ शिक्षा से जुड़े किसी शिक्षाविद्व के नाम पर भी विचार विमर्श करने का अनुरोध किया गया, जिसे कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकार करने हुए सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि वे भी किसी का

नाम डी0लिट0 की मानद उपाधि से सम्मानित करने हेतु प्रस्तुत करना चाहें तो सदन में चर्चा की जा सकती है।

सदन के पटल पर तत्काल किसी सदस्य द्वारा अन्य नाम नहीं सुझाये जाने के उपरांत विद्या परिषद द्वारा प्रो0 गोहर रिज़वी को डी0लिट0 की मानद उपाधि से सम्मानित करने के माननीय कुलपति महोदय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त अनुमोदन बाद पंचम दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण हेतु नाम पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ, इस कम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा दीक्षांत भाषण हेतु अलग किसी अतिथि बुलवाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों से सदन को अवगत करवाते हुए यह विचार प्रस्तुत किया कि यदि डी0लिट0 की मानद उपाधि से सम्मानित किये जाने वाले विद्वानजन से ही दीक्षांत भाषण करवा लिया जावे तो उचित होगा। विद्या परिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय के विचार से सहमति प्रकट करते हुए प्रो0 गोहर रिज़वी से ही दीक्षान्त भाषण प्रदान कराने का निर्णय लिया गया।

विश्वविद्यालय का पंचम दीक्षांत समारोह दिनांक 02 अप्रेल 2009 को आयोजित करने निर्णय किया गया साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि यदि समारोह की उक्त तिथि आयोजन के सम्बन्ध में माननीय कुलाधिपति महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय को असुविधा हो तो उनसे चर्चा उपरान्त अन्य तिथी तय करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

35/02 पंचम दीक्षांत समारोह में विभिन्न परीक्षाओं के छात्रों को उपाधि दिये जाने का प्रस्ताव।

परीक्षा विभाग के प्रस्तावानुसार दिसंबर 2007 से जून 2008 तक आयोजित सत्रांत परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थीयों को उपाधि व डिप्लोमा प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया तथा उक्त परीक्षाओं में योग्यता कम में नियमानुसार प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले विद्यार्थीयों को विद्या परिषद द्वारा पूर्व में निर्धारित दिशा निर्देश के तहत स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने का भी अनुमोदन किया गया।

साथ ही प्रस्तावानुसार जिन विद्यार्थीयों के परीक्षा परिणाम चतुर्थ दीक्षांत समारोह के बाद घोषित हुए है उन्हें भी पंचम दीक्षान्त समारोह में उपाधि/डिप्लोमा प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

Sd/-

(बी0एल0कोठारी)
कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद

कार्यवाही विवरण

दिनांक 27 फरवरी 2009 को सांय तीन बजे विद्या परिषद की 36 वीं बैठक आयोजित की गई बैठक में माननीय अध्ययक्ष महोदय सहित निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
   कोटा।

2. प्रो0पी0के0शर्मा — सदस्य
   आचार्य, प्रबंध।
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

3. प्रो0 अनाम जेटली — सदस्य
   आचार्य, राजनीति विज्ञान
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

4. प्रो0 एम0के0घाड़ोलिया — सदस्य
   आचार्य, अर्थशास्त्र
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

5. डा0 श्रीमती सुषमा सिंघवी — सदस्य
   निदेशक,क्षे0 सेवाऐं (अतिरक्त कार्यभार) एव
   निदेशक क्षे0के0,व0म0खु0वि0वि0,जयपुर।

6. डा0 आर0सी0मीणा — सदस्य
   निदेशक, क्षे0के00
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

7. श्री राकेश शर्मा — सदस्य
   सहा0 आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

8. डा0 श्रीमती दामिना चौधरी — सदस्य
   सह आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

9. डा0 एल0 आर0 गुर्जर — सदस्य
   सह आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

10. डा0 जे0के0शर्मा — सदस्य
    सहायक आचार्य,
    वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

सदस्य

11. डा0 श्रीमती मीता शर्मा
सहा0 आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

सदस्य

12. डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा
सह0 आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

सदस्य

13. डा0 बी0के0शर्मा
सह आचार्यवर्धमान महावीर खुला विश्दविद्यालय,कोटा।

सदस्य

14. डा0 अशोक शर्मा
सह आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

सदस्य

15. डा0 दिनेश गुप्ता
सह आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

सदस्य

16. श्री योगेश शर्मा
सहा0 आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

विशेष आमंत्रित

17. श्री एस0जी0शर्मा
परीक्षा नियंत्रक,वमखुविवि,कोटा।

सदस्य सचिव

18. श्री बी0एल0कोठारी
कुलसचिव,वमखुविवि,कोटा।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा कार्यकाल पूर्ण कर चुके सदस्यों प्रो0 सी0के0ओझा, प्रो0 प्रवीण त्रिवेदी एवं डा0 श्रीमति अनुराधा देशमुख द्वारा विद्या परिषद सदस्य के रूप में उनके द्वारा किये गये सहयोग हेतु उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक हेतु प्रस्तावित कार्यसूची विवरण पर बिन्दुवार चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर माननीय सदस्यगणों द्वारा जानकारी चाही गई:-

1. प्रो0 एम0 के घड़ोलिया द्वारा विषय समन्वयक के सम्बन्ध में रोटेशन व्यवस्था को अनुचित बताते हुए जानकारी चाही कि यह व्यवस्था कब से व किस आधार पर लागू है। इस कम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को यह निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में प्रो0 घड़ोलिया को समस्त जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।
2. प्रो0 पी0 के0 शर्मा एवं डा0 श्रीमति दामिना चौधरी द्वारा विद्यापीठ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी चाही जाने पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
3. अधिकांश सदस्यों का मत था कि बैठक का कार्यसूची विवरण बैठक की सूचना के साथ ही प्रेषित किया जाना चाहिये ताकि कार्यसूची विवरण का भलीभांति अध्ययन कर सदन में पूर्ण तैयारी के साथ चर्चा किया जाना संभव हो सके। माननीय कुलपति

महोदय द्वारा सदस्यों के विचार से सहमति प्रकट करते हुए आश्वस्त किया कि भविष्य में बैठक की सूचना के साथ ही कार्यसूची विवरण प्रेषित किया जावेगा।

उपरोक्त विचार विमर्श के बाद कार्यसूची विवरण पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

36/01 विद्या परिषद की 34 वीं बैठक दिनांक 22 अप्रेल 2008 एवं 35 वीं बैठक (आपात) दिनांक 05 फरवरी 2009 के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 34 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई तथा 35 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पर सदस्यों द्वारा प्राप्त टिप्पणी को सदन में पढकर सुनाया गया तथा माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्राप्त टिप्पणीयों पर मत व्यक्त किये जाने के बाद 35 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 35/01 में निम्नानुसार संशोधन :–

लिखा गया निर्णय	संशोधन के बाद निर्णय
उक्त बिंदु पर चर्चा प्रारंभ करते हुए अधिकाँश सदस्यों का विचार था कि दीक्षांत समारोह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाना चाहिये माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों के विचार से सहमति प्रकट करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम के स्टेच्युट्स 22 में निहित प्रकिया के तहत माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो0 गोहर रिजवी को डी0लिट0 की मानद उपाधि दिये जाने हेतु उनका बायोडेटा एवं उनके सम्बन्ध में अन्य जानकारियों से माननीय सदस्य गणों को अवगत करवाते हुए पंचम दीक्षांत समारोह में डी0लिट0 की मानद उपाधि हेतु उनका नाम प्रस्तावित किया गया।	उक्त बिंदु पर चर्चा प्रारंभ करते हुए अधिकाँश सदस्यों का विचार था कि दीक्षांत समारोह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाना चाहिये माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों के विचार से सहमति प्रकट करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम के स्टेच्युट्स 22 में निहित प्रकिया के तहत माननीय कुलपति महोदय द्वारा *श्री गोहर रिजवी* को डी0लिट0 की मानद उपाधि दिये जाने हेतु *उनका बायोडेटा (संलग्न)* (Annexure 'A') एवं उनके सम्बन्ध में अन्य जानकारियों से माननीय सदस्य गणों को अवगत करवाते हुए पंचम दीक्षांत समारोह में डी0लिट0 की मानद उपाधि हेतु उनका नाम प्रस्तावित किया गया।
माननीय सदस्य गणों द्वारा चर्चा प्रारंभ करते हुए डी0लिट की मानद उपाधि से सम्मानित करने हेतु किसी महिला अथवा दूरस्थ शिक्षा से जुड़े किसी शिक्षाविद्व के नाम पर भी विचार विमर्श करने का अनुरोध किया गया, जिसे कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकार करने हुए सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि वे भी किसी का नाम डी0लिट0 की मानद उपाधि से सम्मानित करने हेतु प्रस्तुत करना चाहें तो सदन में चर्चा की जा सकती है।	माननीय सदस्य गणों द्वारा चर्चा प्रारंभ करते हुए डी0लिट की मानद उपाधि से सम्मानित करने हेतु किसी महिला अथवा दूरस्थ शिक्षा से जुड़े किसी शिक्षाविद्व के नाम पर भी विचार विमर्श करने का अनुरोध किया गया, जिस पर माननीय कुलपति महोदय ने सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि वे भी किसी का नाम डी0लिट0 की मानद उपाधि से सम्मानित करने हेतु प्रस्तुत करना चाहें तो सदन में चर्चा की जा सकती *है। बाद गहन विचार–विमर्श एवं चर्चा विद्या परिषद द्वारा श्री गोहर रिज़वी को डी0लिट0 की मानद उपाधि से सम्मानित करने के* माननीय कुलपति महोदय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
सदन के पटल पर तत्काल किसी सदस्य द्वारा अन्य नाम नहीं सुझाये जाने के उपरांत विद्या परिषद द्वारा प्रो0 गोहर रिज़वी को डी0लिट0 की मानद उपाधि से सम्मानित करने के माननीय कुलपति महोदय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	
उपरोक्त अनुमोदन बाद पंचम दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण हेतु नाम पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ, इस कम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा दीक्षांत भाषण हेतु अलग किसी अतिथि बुलवाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों से सदन को अवगत करवाते हुए यह विचार प्रस्तुत	उपरोक्त अनुमोदन बाद पंचम दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण हेतु नाम पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ, इस कम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा दीक्षांत भाषण हेतु अलग से किसी अतिथि को बुलवाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों से सदन को अवगत करवाते हुए यह विचार प्रस्तुत

किया कि यदि डी0लिट0 की मानद उपाधि से सम्मानित किये जाने वाले विद्वानजन से ही दीक्षांत भाषण करवा लिया जावे तो उचित होगा। विद्या परिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय के विचार से सहमति प्रकट करते हुए प्रो0 गोहर रिज़वी से ही दीक्षान्त भाषण प्रदान कराने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय का पंचम दीक्षांत समारोह दिनांक 02 अप्रेल 2009 को आयोजित करने निर्णय किया गया साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि यदि समारोह की उक्त तिथि आयोजन के सम्बन्ध में माननीय कुलाधिपति महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय को असुविधा हो तो उनसे चर्चा उपरान्त अन्य तिथी तय करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	किया कि यदि डी0लिट0 की मानद उपाधि से सम्मानित किये जाने वाले विद्वतजन से ही दीक्षांत भाषण करवा लिया जावे तो उचित होगा। विद्या परिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय के विचार से सहमति प्रकट करते हुए श्री गोहर रिज़वी से ही दीक्षान्त भाषण प्रदान कराने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय का पंचम दीक्षांत समारोह दिनांक 02 अप्रेल 2009 को आयोजित करने निर्णय किया गया साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि यदि समारोह की उक्त तिथि आयोजन के सम्बन्ध में माननीय कुलाधिपति महोदय तथा मुख्य अतिथि महोदय को असुविधा हो तो उनसे चर्चा उपरान्त अन्य तिथी तय करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

तथा 35/02 में यह स्पष्टीकरण जोड़ने का निर्णय किया गया कि मार्च 2009 तक जिन शोध छात्रों की मौखिक परीक्षा हो जाये उन्हें भी चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपाधि वितरित कर दी जावे।

उपरोक्त संशोधनों के साथ 35 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

36/02 विद्या परिषद की 34 वीं बैठक दिनांक 22 अप्रेल 2008 एवं 35 वीं बैठक (आपात) दिनांक 05 फरवरी 2009 के निर्णयों के कम में की गई कार्यवाही से सम्बन्धित अनुपालना प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट पर अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

दोनों बैठकों के अनुपालना प्रतिवेदनों का अवलोकन कर अब तक हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुमोदित किया गया।

36/03 परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय किये गये:—

1. एम0ए0 पाठ्यक्रमों में न्यूनतम अंको से सम्बन्धित प्रस्ताव।
2. ग्रेस अंक दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव ।
3. बी0जे0एम0सी0 एवं एम0जे0एम0सी0 बी0.लिब0एम0लिब0 एम0एम0 एवं एम0बी0ए0 पाठ्यक्रमों के आंतरिक मूल्यांकन में औसत अंक प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।
4. एम0 ए0 एज्युकेशन के छात्रों को अंक सुधार की अनुमति एवं ग्रुप डिसकशन एवं सेमिनार प्रजेंटेशन में निर्धारित शुल्क देने पर पूर्ण करने /श्रेणी सुधार की अनुमति प्रदान करने के आदेश की पुष्टि।
5. परीक्षा कार्य हेतु परीक्षकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की सीमा(Ceiling) बढाये जाने बाबत् प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णयार्थ।

प्रस्ताव संख्या 01 एवं 02 पर निर्णय से पूर्व एक समिति गठन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया, प्रस्ताव संख्या 03 को स्थगित किया गया तथा प्रस्ताव संख्या 04 को नोट कर निर्णय लिया गया कि उक्त व्यवस्था सिर्फ एक समय विशेष के लिये मानी जावे भविष्य हेतु उपरोक्त आदेशों को प्रभावशुन्य माना जावे। प्रस्ताव संख्या 05 के सम्बन्ध में प्रो0 पी0के0 शर्मा एवं प्रो0 एम0 के0 घड़ोलिया का मत था कि चूंकि परीक्षा कार्य हेतु पूर्व निर्धारित राशी राज्य सरकार के आदेश के कम में निर्धारित है इस कारण सीमा बढाने से पूर्व राज्य सरकार से सहमति प्राप्त की जानी चाहिये, जब कि कुछ सदस्यों का मत था कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशी की सीमा नियमित वि0वि0 के लिये है। नियमित वि0वि0 को वर्ष में एक बार परीक्षा आयोजित करनी होती है जबकि हमारे वि0वि0 को वर्ष में दो बार परीक्षाओं का आयोजना करना होता है। चर्चा उपरांत यह निर्णय किया गया कि परीक्षा कार्य हेतु अधिकतम राशी की सीमा 30000/–रू तक बढाये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

36/04 राजस्थान नालेज कॉर्पोरेशन के केन्द्रों पर आनलाइन परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव(परि0 संलग्न) निर्णयार्थ।

राजस्थान नालेज कार्पोरेशन(RKCL) के द्वारा संचालित RS-CIT कोर्स की उनके ज्ञान केन्द्रों पर आनलाइन परीक्षा आयोजित कराने, परीक्षा अवधि के दौरान नियंत्रक परीक्षा नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि RKCL व University के मध्य इस हेतु एक MOU भी शीघ्र कर लिया जावें। परीक्षा केन्द्र पर होने वाले व्यय का भी अनुमोदन किया गया। (Annexure 'B')

36/05 छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किये गये पुराने आवेदन पत्रों को नष्ट करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रो0 एम0के0घड़ोलिया का मत था कि पुराने रिकार्ड्स को नष्ट करने के सम्बन्ध में प्रबंध मंडल की 45 वीं एवं 61 वीं बैठक में कुछ निर्णय किये गये है उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में ही प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिये, प्रो0 एम0 के0 घाड़ोलिया के मत से सदन द्वारा सहमति व्यक्त करत हुए प्रबंध मंडल के निर्णयों के साथ नये सिरे से पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

36/06 विद्या परिषद में तीन शिक्षाविद्वों का विद्या परिषद सदस्य के रूप में कार्यकाल पूर्ण होने पर नवीन सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव।

विद्या परिषद में तीन शिक्षाविद्वों की नियुक्ति हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

16

36/07 दिनांक 24 जनवरी 2009 को आयोजित रिसर्च बोर्ड की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।

रिसर्च बोर्ड की बैठक के कार्यवाही विवरण पर विस्तृत चर्चा करने के बाद कार्यवाही विवरण में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किये गये:-

1. प्रथम पैराग्राफ में ही "पूर्व बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया" जोड़ा गया।
2. निर्णय संख्या 2.2 में Teacher शब्द से पूर्व All शब्द जोड़ा गया।
3. निर्णय संख्या 06 में उल्लेखित विषय सूची में इतिहास विषय जोड़े जाने का निर्णय किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त रिसर्च बोर्ड के निर्णय संख्या 07 की निरंतरता में निम्नलिखित निर्णय भी किये गये

1. शोध कार्य के लिए पंजीयन से पूर्व प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जावे,तथा एम0फिल0 डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा से मुक्त रखा जावे।
2. शोध कार्य के विविध चरणों के क्रम में शुल्क संरचना के निर्धारण के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करते हुए उनके द्वारा निर्धारित कार्य-प्रबन्ध को विद्या परिषद की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

36/08 विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित तीन नये पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय:

1. ओस्टियोपेथी में प्रमाण पत्र :- उपरोक्त कार्यक्रम की उपयोगिता के सम्बन्ध में निदेशक संकाय द्वारा विद्या परिषद को अवगत करवाते हुए जानकारी दी गई कि कार्यक्रम में चार पाठ्यक्रम प्रत्येक पाठ्यक्रम 04 केडिट का होगा, माननीय सदस्यगणों द्वारा ये जानकारी चाही गई कि क्या उक्त कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मेडिकल कांउसिल से अनुमति की आवश्यकता हैं अथवा नहीं, इस जानकारी के क्रम में निदेशक संकाय द्वारा यह अवगत करवाया कया कि कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व मेडिकल कांउसिल से अनुमति की आवश्यकता नहीं है इस जानकारी के बाद विद्या परिषद द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।
2. सोफ्टसिकल्स में प्रमाण पत्र कार्यक्रम:- उक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में निदेशक संकाय द्वारा विद्या परिषद को अवगत करवाया गया कि कार्यक्रम में चार पाठ्यक्रम होंगे जो कि प्रत्येक 04 केडिट का होगा तथा कार्यक्रम प्रारंभ करने के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति के सम्बन्ध में भी बताया गया,इसके उपरांत विद्या परिषद द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

3. भारतीय नागरिकों के लिये विधिक चेतना विषयक प्रमाण पत्र कार्यक्रम उक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी निदेशक संकाय द्वारा यह जानकारी दी गई कि कार्यक्रम में चार पाठ्यक्रम सम्मिलित किये गये है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम चार क्रेडिट का रहेगा, तथा कार्यक्रम की उपयोगिता के सम्बन्ध में भी विद्या परिषद को जानकारी उपलब्ध करवाई जाने के बाद कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

36/09 विश्वविद्यालय एम0ए0 हिन्दी उत्तरार्द्ध की पाठ्यक्रम संरचना का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

पाठ्यक्रम संरचना को अनुमोदित किया गया।

36/10 स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रमों में त्रिवर्षीय स्नातक योग्यता (10+2+2) विद्यार्थीयों की प्रवेश योग्यता का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्तावानुसार वर्ष 1989 व उससे पूर्ववर्ती बैचों के विद्यार्थियों को पूरक योग्यता के कम में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 10+2+2 के विद्यार्थियों प्रवेश योग्य माने जाने का निर्णय किया गया किंतु मानक प्रवेश योग्यता त्रिवर्षीय उपाधि ही रखे जाने का निर्णय किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विद्या परिषद का उक्त फैसला केवल राजस्थान के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से 10+2+2 की स्कीम के तहत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिये ही माना जावे।

36/11 एम0ए0 राज0 विज्ञान के पाठ्यक्रम का संशोधन एवं आधुनिकीकरण का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

एम0 ए0 राजनीति विज्ञान का प्रस्तावित अद्यतन रूप विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

36/12* अन्य बिंदु आसन की अनुमति से।

"शून्य"

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद

* कार्यसूची विवरण में प्रस्ताव संख्या 36/12 प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया हुआ है तथा 36/13 "अन्य बिंदु आसन की अनुमति से" उल्लेख किया हुआ है किंतु प्रस्ताव संख्या आवंटित करते समय एक प्रस्ताव को दो संख्या आवंटित करने के कारण बैठक के दौरान 36/12 पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ एवं कार्यवाही विवरण में 36/12 पर "अन्य बिंदु आसन की अनुमति से" उल्लेखित किया जा रहा है।

ANNEX L

Gowher Rizvi

Bio

Gowher Rizvi is Director of the Ash Institute for Democratic Governance and Innovation. Before joining the Institute, he was the Ford Foundation's Representative in New Delhi, having previously served as the Foundation's Deputy Director for Governance and Civil Society, as a program officer in the Foundation's Asia division, and as the Asia Society's director of contemporary affairs. Rizvi came to the Ford and Asia foundations from Oxford University where he held several positions. The founder and editor of Contemporary South Asia, an academic and policy studies journal, Rizvi is the author or editor of several books including South Asia in a Changing International Order, South Asian Insecurity and the Great Powers (co-author with Barry Buzan), Perspectives on Imperialism and Decolonization (co-editor with Robert Holland), Indo-British Relations in Retrospect (co-editor with Anthony Copley), and Beyond Boundaries (co-editor with Paul Evans and Navneeta Chaddha Behera). A Rhodes Scholar he received his D. Phil. from Trinity College, University of Oxford.

CV

Contact Information

- Phone Number: 617-495-0557
- Address: 79 John F. Kennedy Streeet, Cambridge Ma, 02138
- Email: Gowher_Rizvi@Harvard.edu

Welcome from Gowher Rizvi

While the case for democracy is obvious, the gap between the aspirations and the realities is often large. Whether it is in advanced societies or in the emerging democracies, there is widespread perception of mal-governance and a popular sense of betrayal by elected governments. Increasingly we learn that democracies are not working, or that they are ineffective in delivering what the citizens demand, or that democracies are incompatible with the developmental aspirations of he majority of the people in developing countries. Read More

ANNEXURE 'B'

RAJASTHAN KNOWLEDGE CORPORATION LIMITED

7A, Jhalana Institutional Area-Jaipur-302004

Estimated Examination Cost

S.No.	Particulars	No. of days	Rate per day	Total Amount
1-	Centre Head - Owner of the Gyan Kendra	10	150.00	1500.00
2-	Examination Co-ordinator- Technical person	11	150.00	1650.00
3-	Examination Controller- University person	11	200.00	2200.00
4-	Supervisor- Gyan Kendra	11	75.00	825.00
5-	Peon- Gyan Kendra	11	50.00	550.00
6-	Stationery/ Refreshment	11	100.00	1100.00
7-	Facility Utilization- Gyan Kendra	10	625.00	6250.00
8-	Vigilence Squad- University (2 person one time in 3 day @ 200 per person)			1200.00
9-	Conveyance Exp. Of V.S.(for 3 visit) (100 km @ 5/- per Km *3 visit)- University person			1500.00
10	Printing & Dispatch of Certificate- Centralised Distribution			2500.00
	Total Cost			19,275.00
	Total Cost			19,275.00
	Total Learner			250
	Cost per Learner			77.10
	Assumptions			
	250 Learner 10 days and 5 computers with one server			
	11 days means to come one day before for preparation of Examination.			

~~30~~

20

परि— ।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

विद्या परिषद की 37 वीं बैठक (विशेष)
दिनांक 30 मार्च 2009
प्रातः 11.30 बजे
ई0एम0पी0भवन, विश्वविद्यालय परिसर

कार्यवाही विवरण

दिनांक 30 मार्च 2009 को प्रातः 11.30 ई0एम0पी0सी0 भवन में विद्या परिषद की 37वीं बैठक आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया:—

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति,वमखुविवि,
   कोटा।

2. प्रो0पी0के0शर्मा, — सदस्य
   आचार्य, प्रबंध,
   वमखुविवि,कोटा।

3. प्रो0 अनाम जेटली, — सदस्य
   आचार्य, राज0विज्ञान, एवं निदेशक संकाय
   वमखुविवि,कोटा।

4. प्रो0 एम0के0घड़ोलिया, — सदस्य
   आचार्य अर्थशास्त्र
   वमखुविवि,कोटा।

5. डा0 सुषमा सिंघवी, — सदस्य
   निदेशक, क्षे0सेवाऐं एवं
   क्षे0के0 वमखुविवि,जयपुर।

6. डा0 आर0सी0मीणा, — सदस्य
   निदेशक, क्षे0के0,
   वमखुविवि,कोटा।

7. डा0 एच0बी0नंदवाना, — सदस्य
   सह आचार्य, पुस्तकालय,

8. डा0 याकुब अली, सदस्य
सह आचार्य, इतिहास,
वमखुविवि,कोटा।

9. श्रीमति मीता शर्मा, सदस्य
सहा0 आचार्य संयोजक हिन्दी
वमखुविवि,कोटा।

10. श्रीमति दामिना चौधरी, सदस्य
सह आचार्य एवं संयोजक शिक्षा,
वमखुविवि,कोटा।

11. डा0बी0के0शर्मा, सदस्य
सह आचार्य एवं संयोजक, इतिहास,
वमखुविवि,कोटा।

12. डा0 अशोक शर्मा, सदस्य
सह आचार्य एवं संयोजक, लोक0 प्रशासन,
वमखुविवि,कोटा।

13. डा0एल0आर0गुर्जर, सदस्य
सह आचार्य एवं संयोजक गींधीयन स्टेडीज पाठ्यकम,
वमखुविवि,कोटा।

14. डा0 दिनेश गुप्ता, सदस्य
सह आचार्य एवं संयोजक पुस्ताकालय,
वमखुविवि,कोटा।

15. डा0 जे0के0शर्मा, सदस्य
सहायक आचार्य एवं संयाजक, अर्थशास्त्र,
वमखुविवि,कोटा।

16. डा0 श्रीमति क्षमता चौधरी, सदस्य
सहा0 आचार्य एवं संयोजक इंगलिश,
वमखुविवि,कोटा।

17. डा0 श्रीमति कमलेश शर्मा, सदस्य
सहायक आचार्य एवं संयोजक डी0सी0सी0टी0 एवं सी0सी0टी0,
वमखुविवि,कोटा।

18. श्री योगेश शर्मा, सदस्य
सह0 आचार्य, एवं संयोजक विधी,
वमखुविवि,कोटा।

19. श्री गोपाल शर्मा विशेष आमंत्रित
परीक्षा नियंत्रक,
वमखुविवि,कोटा,

20. श्री बी0एल0 कोठारी सदस्य सचिव
कुलसचिव
वमखुविवि,कोटा।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यगणों को स्वागत किया गया तत्पश्चात् आवश्यक गणापूर्ति बाद विशेष बैठक के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

37/01 प्रो0 गौहर रिज़वी की डी0लिट की मानद उपाधि दिये जाने के विद्या परिषद के प्रस्ताव को महामहिम राज्यपाल महोदय से प्राप्त स्वीकृति सूचनार्थ।

विद्या परिषद द्वारा सूचना को नोट किया गया।

37/02 दिनांक 02 अप्रेल 2009 को आयोजित पंचम दीक्षांत समारोह हेतु दीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन।

छात्रों को उपाधि प्रदान किये जाने हेतु कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न दीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन करते हुए दिसंबर 2007 से जून 2008 तक आयोजित परीक्षाओं में सफल कुल 2954 छात्रों तथा 31–3–2009 तक पी.एच. डी. उत्तीर्ण करने वाले 6 विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु दीक्षा कार्यक्रम की कार्यवाही संपादित की गई। साथ ही चतुर्थ दीक्षांत समारोह में जिन छात्रों को उपाधि प्रदान करने हेतु ग्रेस पास किया था उसके अतिरिक्त उन परीक्षा सत्रों के लिए चतुर्थ दीक्षांत समारोह के पश्चात् उत्तीर्ण घोषित अभ्यार्थियों को भी डिग्री प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद

परि० — 2

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

विद्या परिषद की 38 वीं बैठक(आपात) आज़ दिनांक 2.09.09 को प्रातः 11.00 बजे मुख्यालय स्थित ई0एम0पी0सी0 भवन में आयोजित की गई,बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहेः—

1. प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2. प्रो0 पी0के0शर्मा आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
3. प्रो0 अनाम ज़ेटली आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
4. प्रो0 एम0 के0 घाड़ोलिया आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
5. प्रो0 बी0के0शर्मा आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
6. डा0 आर0 सी0 मीणा। निदेशक, क्षे0के0, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
7. डा0 एच0बी0 नंदवाना सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
8. डा0 याकुब अली खान सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
9. डा0 श्रीमति दामिना चौधरी सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
10. डा0 अशोक शर्मा सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
11. डा0 दिनेश गुप्ता सह आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य

12. डा0 श्रीमति कमलेश शर्मा — सदस्य
सह आचार्य,वमखुविवि,कोटा।

13. श्री योगेश शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।

14. डा0 जे0के0शर्मा — सदस्य
सह आचार्य,वमखुविवि,कोटा।

15. श्री राकेश शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।

16. डा0 श्रीमति मीता शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।

17. श्री गोपाल शर्मा — विशेष आमंत्रित
परीक्षा नियंत्रक,वमखुविवि,कोटा।

18. डा0 एल0 आर0 गुर्जर — विशेष आमंत्रित
सह आचार्य,वमखुविवि,कोटा।

19. डा0 बी0अरूण कुमार — विशेष आमंत्रित
सह आचार्य,वमखुविवि,कोटा।

20. डा0 अनुरोध गोधा — विशेष आमंत्रित
सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।

21. डा0 अनुराधा शर्मा — विशेष आमंत्रित
सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।

22. श्री बी0एल0 कोठारी — सदस्य सचिव
कुलसचिव,वमखुविवि,कोटा।

आवश्यक गणापूर्ति के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा नवनियुक्त विषय संयोजकों का स्वागत करते हुए अल्प सूचना के आधार पर बुलाई गई विशेष आपात बैठक के कारण के सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को सी0ए0एस0 लाभ दिये जाने की प्रकिया जारी है,उक्त प्रकिया के तहत चयन समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है, चयन समिति में विषय विशषज्ञों के मनोनयन की प्रकिया के तहत विशेषज्ञों के पैनल को विद्या परिषद से अनुमोदित करवाया जाना आवश्यक है।

माननीय कुलपति महोदय के उक्त उद्‌भोदन के बाद कुलपति महोदय के निर्देशानुसार प्रो0 अनाम जेटली (जिनके पास निदेशक संकाय का कार्यभार भी है) द्वारा निम्नलिखित विषय के विषय विशेषज्ञों के पैनल सदन के पटल पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये :–

1. कंप्युटर विज्ञान
2. पुस्तकालय
3. इतिहास
4. राज0 विज्ञान

माननीय सदस्यगणों द्वारा विशेषज्ञ नियुक्ति की प्रकिया की गोपनीयता बनाये रखने को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पैनल का व्यक्तिगत अवलोकन किये बिना ही निदेशक संकाय द्वारा प्रस्तुत पैनल को अनुमोदित कर माननीय कुलपति महोदय के पास आगामी प्रकिया हेतु सुरक्षित रखे का के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

डा0 श्रीमति दामिना चौधरी द्वारा शिक्षा विषय के विशेषज्ञ पैनल के सम्बन्ध में जानकारी चाही जाने पर निदेशक संकाय द्वारा अवगत करवाया गया कि विषय विशेषज्ञ का पैनल प्रति दो वर्ष बाद बनाया जाता है, इस कारण शिक्षा विषय का पूर्व पैनल वर्तमान में उपलब्ध है।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने को बाद बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
विद्या परिषद

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 39वीं बैठक दिनांक 09 दिसंबर 2009 को प्रातः 11.00 विश्वविद्यालय के गांधी भवन में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

2. प्रो0 पी0 के0 शर्मा — सदस्य
   आचार्य,प्रबंध
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

3. प्रो0 अनाम जेटली — सदस्य
   आचार्य, राज0 विज्ञान
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

4. प्रो0 एम0 के0 घड़ोलिया — सदस्य
   आचार्य, अर्थशास्त्र
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

5. डा0 आर0 सी0 शर्मा — सदस्य
   निदेशक,क्षे0के0
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,जोधपुर।

6. डा0 एच0 बी0 नंदवाना — सदस्य
   सह आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

7. डा0 अशोक शर्मा — सदस्य
   सह आचार्य, राज0 विज्ञान विज्ञान
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

8. डा0 बी0 अरूण कुमार — सदस्य
   सह आचार्य, राज0 विज्ञान विज्ञान
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

9. डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा — सदस्य
   सह आचार्य, इतिहास
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

10. डा0 जे0के0 शर्मा — सदस्य
सह आचार्य, अर्थशास्त्र
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

11. श्री राकेश शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य, कंप्युटर विज्ञान
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

12. डा0 श्रीमती मीता शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य, हिन्दी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

13. डा0 श्रीमती क्षमता चौधरी — सदस्य
सहा0 आचार्य, इंगलिश
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

14. डा0 अनुरोध गोधा — सदस्य
सहा0 आचार्य, वाणिज्य
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

15. डा0 श्रीमती अनुराधा शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य, बोटनी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

16. डा0 श्रीमती कीर्ति सिंह — सदस्य
सहा0 आचार्य, शिक्षा
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

17. डा0 नागेन्द्र शर्मा — विशेष आमंत्रित
परीक्षा नियंत्रक
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

18. श्री एन0 एल0 बांडक — सदस्य सचिव
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

आवश्यक गणापूर्ति के बाद बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा पूर्व बैठक एवं वर्तमान बैठक के मध्य विद्या परिषद का कार्यकाल पूर्ण कर चुके सदस्यगणों का उनके सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित एवं नव मनोनीत सदस्यों का स्वागत करते हुए विद्या परिषद की बैठक आयोजन के सम्बन्ध में संक्षेप जानकारी विद्या परिषद को उपलब्ध करवाने के बाद सदस्य सचिव (कुलसचिव) को कार्यसूची विवरण पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करवाने के निर्देश के साथ प्रस्तुत कार्यसूची विवरण पर बाद विचार विमर्श निम्नानुसार निर्णय किये गये:

39/01 विद्या परिषद की 36 वीं ,37वीं एवं 38 वीं बैठक के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

36वीं,बैठक के कार्यवाही विवरण के क्रम में बिंदु संख्या 36/03 पर प्राप्त टिप्पणियों पर माननीय कुलपति महोदय ने निर्देश दिये कि अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर तीन माह की अवधि में पुनः विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे, माननीय कुलपति महोदय के उक्त निर्देश के बाद विद्या परिषद की 36, 37वीं एवं 38वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

39/02 विद्या परिषद की 36 वीं ,37वीं बैठक एवं 38 वीं बैठक के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन।

अनुपालना प्रतिवेदन पर संतोषव्यक्त करते हुए अनुमोदित किया गया।

39/03 शोध एवं एम0 फिल0 कार्यक्रम के नवीन नियम अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

शोध एवं एम0 फिल से सम्बन्धित कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न नियमों का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

39/04 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

शुल्क वृद्वि की आवश्यकता के सम्बन्ध में माननीय सदस्य गणों को जानकारी उपलब्ध करवाये जाने के बाद कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न शुल्क संरचना को स्वीकार करते हुए निर्देशित किया कि नीवन शुल्क का अलग अलग मदवार विभाजन क्षेत्रीय सेवा विभाग द्वारा तैयार करवा कर विद्या परिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत करेगा।

39/05 छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य जानकारियों के सम्बन्ध में निर्णय।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय से पूर्व माननीय कुलपति महोदय को एक समिति गठित करने के लिये अधिकृत करते हुए ,गठित की जाने वाली समिति के प्रतिवेदन को विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया।

39/06 विद्या परिषद की 36वीं बैठक के निर्णय संख्या 36/03 (01 एवं 02)की अनुपालना में गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

समिति के प्रतिवेदन का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया कि समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं को अविलंब विश्वविद्यालय में लागू किया जावे।

39 / 07 राजस्थानी भाषा में एम0ए0 पाठ्यकम प्रारंभ करने सम्बन्धी प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

राजस्थानी भाषा में स्नातकोत्तर पाठ्यकम जुलाई 2009 से प्रारंभ किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

39 / 08 प्रबंध पाठ्यकम के स्ट्रक्चर का अनुमोदन।

प्रबंध पाठ्यकम के संलग्न स्ट्रक्चर का अनुमोदन किया गया।

39 / 09 गणित विषय में एम0एस0सी0 एवं एम0 फिल पाठ्यकम प्रारंभ करने के सम्बन्ध में गठित सी0 डी0 सी0 की बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करते हुए पाठ्यकम प्रारंभ करने की अनुमति का प्रस्ताव परिषद के सम्मुख अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

गणित विषय में एम0एस0सी0 एवं एम0 फिल पाठ्यकम प्रारंभ करने के सम्बन्ध में गठित सी0डी0सी0 की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए,गणित विषय में एम0एस0सी0 एवं एम0 फिल पाठ्यकम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

39 / 10 बी.ए. पार्ट प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय में गांधी एवं शान्ति अध्ययन विषय सम्मिलित करने का प्रस्ताव।
बी0 ए0 पार्ट प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय में गांधी एवं शान्ति अध्ययन विषय सम्मिलित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

39 / 11 गांधी एवं शांति अध्ययन में एम0 ए0 प्रारंभ करने का प्रस्ताव।

गांधी एवं शांति अध्ययन में एम0 ए0 प्रारंभ करने के सम्बन्ध में गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए पाठ्यकम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

39 / 12 विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से बी0सी0ए0 पाठ्यकम प्रारंभ करने की अनुमति हेतु।
विषय संयोजक द्वारा प्रस्तावित पाठ्यकम की उपयोगिता के सम्बन्ध में सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया कि उक्त पाठ्यकम के प्रति वर्तमान में विद्यार्थियों की रूची बहुत अधिक बढ रही है,पाठ्यकम के बाद रोजगार की उपलब्धा की प्रचुर संभावना को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यकम प्रारंभ करने से विश्वविद्यालय छात्र संख्या में अच्छी खासी वृद्वि होने की संभावना है, विषय प्रभारी द्वारा दी गई उक्त जानकारी के बाद विद्या परिषद द्वारा पाठ्यकम निर्माण समिति के कार्यवाही विवरण एवं तैयार पाठ्यकम का अवलोकन करने के बाद पाठ्यकम निर्माण समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए पाठ्यकम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

39/13 स्नातक कला पाठ्यक्रम में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारंभ करने बाबत् परामर्शदाता का प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट पर अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावानुसार स्नातक कला पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय, के प्रश्न पत्र (12 श्रेयांक प्रत्येक वर्ष, कुल 36 श्रेयांक) को ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करने का अनुमोदन किया गया।

39/14 विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति हेतु।

पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.11.09 की अनुशंसाओं का अनुमोदन करते हुए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

39/15 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पी0डी0जी0एम0 पाठ्यक्रम का हिन्दी भाषा में अनुवाद कर मुद्रित करवाने की माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति के क्रम में जारी आदेश सूचनार्थ प्रस्तुत है।

पाठ्यक्रम के हिन्दी रूपातंरण एवं मुद्रण की अनुमति के क्रम में जारी संकाय विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4293 दिनांक 24.07.09 को कार्यत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

39/16 राजस्थानी भाषा विषय को बी0ए0 एवं एम0 ए0 के वैकल्पिक विषयों में सम्मिलित करने बाबत्।

राजस्थानी भाषा विषय को बी0ए0 में ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की गई।

39/17 गांधीवादी पद्धति में सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव।

गांधीवादी पद्धति के सम्बनध में सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

39 / 18 शिक्षा संकाय में निम्नलिखित नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति एवं इस सम्बन्ध में गठित की जाने वाली समिति गठन का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

1. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिसटेंस एज्युकेशन
2. सर्टिफिकिट कोर्स इन डिसटेंस एज्युकेशन
3. बी0ए0 कार्यक्रम में शिक्षा एक ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव।

प्रस्तावानुसार पाठ्यक्रम निर्माण हेतु गठित की जाने वाली समिति का अनुमोदन करते हुए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

39 / 19 विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से व्यावहारिक अंग्रेजी कार्यक्रम प्रर्वतन करने की कार्य प्रगति अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभ किये गये व्यावहारिक अंग्रेजी के 06 माह की अवधि के प्रमाण पत्र कार्यक्रम का कार्यत्तर अनुमोदन किया गया।

39 / 20 अन्य बिंदु आसन की अनुमति सेः—

(1) एम0 उतरार्द्ध एवं बी0 ए0 द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम का सिलेबस एवं सी0डी0सी0 की बैठक दिनांक 27 अप्रेल 2009 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

सी0डी0सी0 की बैठक दिनांक 27 अप्रेल 2009 के कार्यवाही विवरण एवं एम0ए0 उतरार्द्ध एवं बी0 ए0 द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के सिलेबस का अनुमोदन किया गया।

कुलसचिव
एवं
सदस्य सचिव
विद्या परिषद।